



राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय ताल, स्लॉक-5, डॉ. एस. रायाकृष्णन् शिक्षा संपुर्ण परिसर

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 32

फोन नं: 0141- 2715565

E-mail- smsa.asfe@gmail.com

क्रमांक - समसा/जय/वै.शि./2018-19/ 13175

दिनांक :- 18/03/19

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

विषय:- पुस्तकालय अनुदान सत्र 2018-19 के दिशा-निर्देश अनुसार पुस्तकों क्रय किये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयार्थगत लेख है कि परिषद की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक राष्ट्रीय/जय/वै.शि./2018-19/7303 दिनांक 05.10.2018 के द्वारा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के लिए जिलों को लाइब्रेरी ग्रान्ट की राशि पी.डी. खातों में हस्तान्तरित की गयी थी। पुस्तकालय अनुदान सत्र 2018-19 के दिशा-निर्देश एवं एमएचआरडी द्वारा जारी पुस्तकालय अनुदान के प्रेषित दिशा-निर्देश अनुसार इस राशि का उपयोग किया जाना है। उक्त दिशा-निर्देश शालादर्पण पोर्टल के होम पेज पर भी उल्लिख है।

पुस्तकालय अनुदान सत्र 2018-19 के दिशा-निर्देश एवं एमएचआरडी से प्राप्त पुस्तकालय अनुदान के दिशा-निर्देश अनुसार लाइब्रेरी ग्रान्ट की राशि द्वारा NBT, NCERT, SCERT अथवा अन्य राजकीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को ही क्रय किया जाना है। पुस्तकों क्रय करने के लिए सुलभ संदर्भ हेतु एमएचआरडी द्वारा जारी पुस्तकालय अनुदान दिशा-निर्देश में बच्चों के लिए आयु अनुसार प्रकाशित पुस्तकों की सूची मय पुस्तक मूल्य दिया गया है। यह पुस्तकों NBT द्वारा प्रकाशित की गयी है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि लाइब्रेरी ग्रान्ट की राशि द्वारा NBT, NCERT, SCERT अथवा अन्य राजकीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को ही क्रय किया जावे। परिषद के दिशा-निर्देशों अनुसार निर्धारित पुस्तकों से पृथक पुस्तकों क्रय किये जाने पर संबंधित विद्यालय के संस्थाप्रधान तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी के विरुद्ध राजस्थान सेवा नियमों के तहत प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितता की कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि सघन मॉनीटरिंग के द्वारा लाइब्रेरी ग्रान्ट की राशि से NBT, NCERT, SCERT अथवा अन्य राजकीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को ही क्रय किया जाना सुनिश्चित करावें।

जिले के समस्त विद्यालयों द्वारा NBT, NCERT, SCERT अथवा राजकीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों ही क्रय किये जाने का प्रमाण पत्र; उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर परिषद कार्यालय को ई-मेल smsa.asfe@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

18/3/19

(हरभान भीणा)

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

www.rajteachers.com

क्रमांक - समसा/जय/वै.शि./2018-19/ 13175

दिनांक :- 18/03/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक/ माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, गीकानेर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (II), समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
5. रक्षित प्रति।

कार्यालय: अदिति जिला शिक्षा प्रशासन, मार्ग शिक्षा अभियान, श्रीगंगानगर।

18/03/19
उपायुक्त-VII

क्रमांक:...19.6.2..... दिनांक:....28.3.19/19

F:\Vinita\Letters\AS Letters\18/3/19\पुस्तकालय शिक्षा अधिकारी

Page 179

खालौक:...लाभार्दत..... जिला श्रीगंगानगर।

उपरोक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करें।